



मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

अक्टूबर-दिसम्बर, 2018

RNI Reference No : 1322876 • Title Code : MPHIN34795 • Year : 3 • Edition : 9

MADHYA PRADESH VANANCHAL SANDESH


October-December, 2018





बारगोंदा रोपणी, इंदौर





इको टूरिज्म केंप, मटकुली

Patron :

J.K. Mohanti
Principal Chief Conservator of Forests
(HOFF), Satpura Bhawan, Bhopal

Editorial Board :

S.K. Mandal
Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lok Vaniki)

Dr. Abhay Kumar Patil
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Complaints and Redressal)

Alok Kumar
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Wildlife)

Pushkar Singh
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Development)

Sameeta Rajora
Chief Conservator of Forests
Director Van Vihar

S.P. Jain
DCF

B.K. Dhar
Prachar Adhikari

Editor :

Dr. P.C. Dubey
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lok Vaniki)

Prachar Prasar Prakosth Team :

Neeraj Gautam, Coordinator
Diwakar Pandit, Coordinator

Contact :

Prachar Prasar Prakosth, Room No. 140,
Satpura Bhawan, Bhopal
Email : dcfpracharprasar@mp.gov.in
Contact : 07552524293


Owner & Publisher :

Prachar Prasar Prakosth (M.P.F.D.)
Printed by Madhya Pradesh Madhyam, Bhopal

The views expressed in various articles belong to the authors of the article. Madhya Pradesh Forest Department may not agree with the views expressed by authors and will not be responsible for the correctness of the article. Madhya Pradesh Forest Department is not responsible for any liability arising out of context/text of the article published in this magazine.

No part of this magazine can be reproduced and published without the consent of the publisher of Madhya Pradesh Vananchal Sandesh. All legal disputes will come under the jurisdiction of Bhopal, Madhya Pradesh.

इस बार के अंक में



01-02

पर्यावरण बाल मित्र... एक प्रयास

03-04

अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2018-19

(मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड)

05-06

रोपणी पर्यटन

07-08

मुनगा पौधों का वितरण

08 संक्रमिका (Ecotone) क्षेत्र टिकरी गोविन्दगढ़

09-10

वर्मी कम्पोस्ट में गुणवत्ता वृद्धि

10 केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट)

12-20

वन्य प्राणी सप्ताह

12 राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2018,
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल

20 वन्य प्राणी सप्ताह-कान्हा

21

सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण-वन विहार भोपाल

22

गौरैया संरक्षण- सामान्य वनमण्डल
विदिशा

23-24

द्वितीय प्रदेश व्यापी गिर्द गणना

25-26

बाघों का पुनर्थापन

25 कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ को संजय
टाइगर रिजर्व भेजा गया

27

मध्यप्रदेश एसटीएफ वन्यप्राणी को अर्थ हीरोज़ अवार्ड

28

ग्रीन केलेंडर 2019

29-30

सीताफल पर प्रयोग

31

टिथ्यूकल्चर प्रयोगशाला- इन्दौर

32

नई पहल - श्रमिकों ने शुरू किया ट्रेस कोड

32

आर.ई.टी. प्रजाति विषय पर कार्यशाला

33

जैवविविधता बोर्ड द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का सशक्तिकरण

33 जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारी व विनिर्माताओं के साथ संभाग स्तरीय कार्यशाला

34

इंटरनेट की दुनिया से

34


सेवानिवृत्ति

35-39

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की गतिविधियाँ

35 जबलपुर में Biofuel विषय पर व्याख्यान


35 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा “मिल बाँचें मध्यप्रदेश” कार्यक्रम में भागीदारी



25



29



36



40

36 राज्य वन अनुसंधान परिसर में त्रिफला
उद्यान की स्थापना

36 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छता कार्यक्रम
का आयोजन

37 कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत
खेती के साथ क्लोनल यूकेलिप्ट्स
रोपण से लाभ

38 क्लोनल यूकेलिप्ट्स रोपण की कृषि
वानिकी पद्धति

40

दोमुँहा साँप की तरकरी पर लगाम

41-42

24वीं मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय वन
खेलकूद प्रतियोगिता

43-44

अखबारों के आइने से

45

45 वन कोषों का विघटन यों ही...

45 गुजराती गीत



42



42



उमंग सिंघार
मंत्री
वन विभाग (म.प्र.)

ई-115/16, शिवाजी नगर, भोपाल
फोन : 0755-2440512
वि.क्षेत्र : (197-गंधवानी)
पुराने पोस्ट ऑफिस के पीछे
गंधवानी, जिला धार (म.प्र.)
फोन : 07292-222633
मंत्रालय कक्ष क्र.- VB-IIB-115

क्रमांक : 107/म.व./2019
भोपाल, दिनांक : 04/02/2019

संदेश

विभाग की त्रैमासिक पत्रिका “वनांचल संदेश” प्रकाशन के दो वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। वन संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश में वन एवं वनवासी एक-दूसरे के परिपूरक हैं। वानिकी विकास तथा विस्तार से वनवासी कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को वनांचल संदेश के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।

प्रदेश में जनभागीदारी के द्वारा वानिकी गतिविधियों के क्रियान्वयन से वानिकी विकास एवं संवर्धन के बेहतर परिणाम मिले हैं। इन जनोन्मुखी प्रयासों को अभिलिखित करने तथा जनता से संवाद की दिशा में वनांचल संदेश पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सराहनीय प्रयास के लिए सम्पादक मण्डल के सभी सदस्यों एवं पाठकगण के योगदान को मेरी ओर से शुभकामनाएं।



उमंग सिंघार
मंत्री, वन विभाग (म.प्र.)

संपादकीय

वनांचल सन्देश के इस अंक में प्रकाशित विभिन्न विभागीय गतिविधियां, विभाग का एक बहुआयामी दृष्टिकोण एवं क्रियाशीलता को बहुत रोचक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

वनांचल सन्देश प्रकाशन की दो वर्ष की छोटी सी यात्रा में विभाग की विभिन्न गतिविधियों के प्रकाशन हेतु कई प्रयास किये गए, जिससे यह पत्रिका उत्तरोत्तर विभाग की गतिविधियों को विभाग एवं विभाग के बाहर अपनी पहचान बना पाई है। विभाग का प्रयास आगे भी रहेगा कि वन, वनवासी, पर्यावरण, मौसम परिवर्तन एवं वन के अटूट सम्बन्ध को और अधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

इन्ही शुभकामनाओं के साथ...



डॉ. पी.सी. दुबे

पर्यावरण बाल मित्र... एक प्रयास


बाल मित्र ग्वालियर अनुसंधान वृत्त द्वारा चलाया जा रही एक अनूठी पहल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आस-पास के पर्यावरण एवं उसके महत्व के विषय में जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी स्कूल में जाकर पौधा तैयार करना एवं पौधे रोपण की तकनीकी तथा मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली प्रजातियों के विषय में चर्चा करते हैं, स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र-छान्त्राओं को रोपणियों में भ्रमण भी कराया जाता है। वे वास्तविक तौर से रोपणियों में होने वाली अनेक गतिविधियों से रुबरु होते हैं। इस प्रकार इन बच्चों को अपने घरों के आस-पास के क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे उनका एवं हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।

उद्देश्य:-

- बच्चों को पर्यावरण एवं उसकी उपयोगिता, पौधे तैयारी, मृदा के महत्व एवं बीजों के पहचान की जानकारी देना।
- बच्चों को स्वयं वृक्ष उगाने हेतु एवं उनकी सुरक्षा कर पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- इस प्रकार तैयार पौधे को बच्चे अपने स्कूल एवं अन्य सुरक्षित स्थलों पर वर्षा ऋतु में रोपित करेंगे एवं इनकी सुरक्षा का संकल्प भी लेंगे।

पर्यावरण बाल मित्र				
क्र.	जिला	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या	पौधों की संख्या
1	ग्वालियर	11	3660	4850
2	मुरैना	09	805	2570
3	भिण्ड	13	692	1640
4	शिवपुरी	08	2457	9000
5	श्योपुर	12	1330	7500
6	गुना	05	890	2850
7	अशोकनगर	16	4949	13650
8	दतिया	06	351	3250
		योग	80	15134
				45310





अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2018-19

(मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड)

राष्ट्रीय वन नीति में वन प्रबंधन के तहत जन सामान्य की भागीदारी प्रावधानित की गयी है। वन प्रबंधन में भागीदारी के प्रथम चरण के रूप में वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के महत्व के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सह जागरूकता की अहम भूमिका है। इसी अवधारणा के आधार पर मध्यप्रदेश इकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा विद्यालयीन छात्र/छात्राओं हेतु प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। ये छात्र/छात्राएं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी व्यवहार रखते हैं तो समाज में प्रकृति संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता स्वतः ही विकसित हो सकती है। विद्यार्थी वन, वन्यजीव, पर्यावरण एवं इकोपर्यटन के शक्तिशाली प्रचारक सिद्ध होंगे। यह प्रदेश व्यापी कार्यक्रम प्रभावी रूप से आयोजित कर स्कूली विद्यार्थियों (कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं) को प्राकृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान कर, उन्हें इसके संरक्षण के लिये जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रकृति संरक्षण का यह अलौकिक अनुभव इन संवाहकों द्वारा चारों ओर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य की जानकारी एवं अनुभवों के माध्यम से पारिस्थितिकीय तंत्र के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पक्षी दर्शन, वन औषधि एवं वन प्रबंधन की सामान्य

जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया जायेगा।

गत वर्ष कार्यक्रम के उत्साह वर्धक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2018-19 में भी इसे सतत् रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष सामान्य, राष्ट्रीय उद्यान, बफर क्षेत्र एवं अभ्यारण्य के प्रत्येक परिक्षेत्र में एक-एक शिविर आयोजित किया जा रहा। राज्य वन विकास निगम के परिक्षेत्रों के अंतर्गत स्थित विद्यालयों को भी क्षेत्रीय परिक्षेत्रों के कैम्पों में भागीदारी कराई जा रही है। तदानुसार प्रत्येक परिक्षेत्र में प्रतिशिविर 120 छात्र/छात्राओं को सम्मिलित कर, इस वर्ष 56000 प्रतिभागियों का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2018-19 में यह अनुभूति कार्यक्रम 15 दिसंबर 2018 से 15 जनवरी 2019 की अवधि में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर आयोजित कर इकोपर्यटन, वन एवं वन्यप्राणियों से सम्बंधित विभिन्न जानकारी एवं अनुभव प्रदान किये जा रहे हैं। इस हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है इनकी सेवाएं इन शिविरों हेतु ली जा रही हैं। प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर में वन, वन्यप्राणी व पर्यावरण



स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा रोपणी भ्रपण, रीवा अनुसंधान वृत्त


संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता तथा इकोपर्यटन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके अंतर्गत ईकोपर्यटन के मूल सिद्धांत, पक्षी व वन्यप्राणी दर्शन, प्राकृतिक संसाधन, जल संरक्षण, पर्यावरण एवं वन प्रबंधन की जानकारियों से अवगत होंगे। छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक स्वरूप की निम्नानुसार जानकारी भी दी जा रही है।

प्रशिक्षण की विषय वस्तु

1. कैम्प विवरण – कैम्प का उद्देश्य, कार्यक्रम की जानकारी,

इकोपर्यटन का परिचय एवं महत्व की जानकारी देना है।

2. प्रकृति भ्रमण – पेड़-पौधों और पारिस्थितिकीय तंत्र का परिचय, वनों की भूमि, मृदा, जड़ तंत्र और वृक्ष के घटक एवं लघुवन वनौषधियों की जानकारी। वन्यप्राणी की पहचान एवं उनकी आदतें, भोजन, शारीरिक संरचना सम्बन्धी जानकारी, कीट-पतंगों की पहचान, सरीसृप जीवों की पहचान, जंगली पशुओं के चिन्ह सम्बन्धी जानकारी। वन्यप्राणियों का पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्व।



अनुभूति कार्यक्रम के दौरान रोपणी में जानकारी प्राप्त करते छात्र एवं छात्राएं, ग्वालियर अनुसंधान वृत्त





सागर अनुसंधान वृत्त



रोपणी पर्यटन

प्रकृति, पेड़-पौधों के महत्व एवं उनमें रुचि पैदा करने के उद्देश्य से, अनुसंधान वृत्त द्वारा एक नवाचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब अनुसंधान एवं विस्तार की रोपणियों को पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। क्षिप्रा और त्रिवेणी उज्जैन में, बारगोंदा इंदौर में, बांसपुर और अमरावत भोपाल में और बोरेगांव खंडवा में, ये वह स्थल हैं जिन्हें रोपणियों पर्यटन के रूप में विकसित किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य रोपणियों में भी रोपणी पर्यटन विकसित किया जा रहा है। अब अनुसंधान विस्तार की रोपणियां बच्चों के लिए

खेलने-कूदने की जगह, बुजुर्गों के लिए ताजी हवा लेने एवं सैर सपाटे की जगह और साथ ही साथ ये ज्ञान स्थल के रूप में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों की जानकारी, पौधे लगाने की तकनीक, जैविक उर्वरकों एवं वृक्षाशेषण की महत्ता इन सभी विषयों के बारे में जागरूकता फैलाने के स्थल के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इन जगहों पर आने वाले लोगों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है। पर्याप्त संख्या में लोग इन रोपणियों में घूमने आ रहे हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से सकारात्मक चिन्ह हैं।





रोपणी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अधो संरचना विकास



बरगोन्दा रोपणी-इन्डौर



किप्रा विहार, उज्जैन



रोपणी, खण्डवा

मुनगा पौधों का वितरण

संक्षिप्त परिचय

सतना जिले के अन्तर्गत मझगवां, बरौधां, उचेहरा एवं मैहर वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कई ग्राम आदिवासी बाहुल्य हैं। इन क्षेत्रों के ग्राम वासियों के खानपान तथा रहन-सहन की व्यवस्था सुचारू न होने के फलस्वरूप इनमें आयरन तथा अन्य पौष्टिक तत्वों की कमी देखी गई। इस कमी को पूर्ति करने की दृष्टि से वनमंडलाधिकारी सतना श्री राजीव मिश्रा तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा के सहयोग से मुनगा के पौधे तैयार करवा कर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्राम वासियों में वितरित कराये जाने की योजना तैयार की गई। इस दिशा में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा में पदस्थ श्री वाई.पी. वर्मा सहायक वन संरक्षक एवं उनके सहयोगी कर्मचारियों द्वारा सरभंगा, गहरा, परसवाही इत्यादि रोपणियों

में लगभग 110700 पौधे मुनगा की पी.के.एम.-1 प्रजाति के पौधे तैयार करवाये गये। मुनगा की इस प्रजाति की विशेषता यह है कि वह रोपण के छः माह के पश्चात से मुनगा का फल देने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र के ग्रामवासियों को जहां एक ओर स्वयं के उपयोग के लिये जल्दी मुनगाफली उपलब्ध हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर इसे बाजार में विक्रय कर उन्हें अतिरिक्त आय भी होगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत वर्ष 2018 की वर्षा क्रतु के दौरान सतना जिले के 101 ग्रामों के 1625 हितग्राहियों को मुनगा के 46666 पौधे कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये। जिनमें से आज भी लगभग 80 प्रतिशत पौधे हितग्राहियों के यहां जीवित हैं। वितरित पौधों का विवरण निम्नानुसार है :-



सतना में मुनगा पौधे वितरण करते हुए, सहायक वन संरक्षक श्री वर्मा एवं स्टाफ

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कुल ग्राम संख्या	हितग्राहियों की संख्या	कुल वितरित पौधा संख्या
1	सतना	12	20	4730
2	उचेहरा	10	303	15000
3	नागौद	7	7	410
4	मैहर	12	472	9910
5	अमरपाटन	3	7	55
6	मुकुन्दपुर	3	3	500
7	चित्रकूट	10	39	5700
8	मझगवां	18	526	5471
9	बरौधां	26	248	4890
योग		101	1625	46666

मुनगा के उपयोग

1. रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है।
2. पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है।
3. हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है।
4. खून शुद्ध रखने में मदद करता है।
5. श्वसन तंत्र के गड़बड़ियों को दुरुस्त करता है।
6. प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
7. पशु हेतु पौष्टिक आहार है।
8. औषधीय गुणों से भरपूर है।

- मुनगा *Moringa oleifera* (Drumstick Tree)
- मिनरल – Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorous, Zinc, Sodium
- विटामिन – Vitamin A, C, B1, B2, B3
- उपयोग – अस्थमा, मिर्गी, अपचन, बुखार इत्यादि।

संक्रमिका (Ecotone) क्षेत्र टिकरी गोविन्दगढ़

दो समीप वाले परितंत्रों के मध्य एक संक्रमण (Ecotone) क्षेत्र, जहां पौधों का समूह विकास करते हैं और परिवर्तित होने के बजाय, प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे में समा जाते हैं, को संक्रमिक क्षेत्र कहा जाता है। संक्रमिक क्षेत्र एक व्यापक बेल्ट के साथ या एक छोटी सी पॉकेट के रूप में मौजूद हो सकता है, जैसे कि वन समाशोधन, जहां दो स्थानीय समुदाय एक साथ आते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र रीवा जिले के रीवा गोविन्दगढ़ मार्ग से पूर्व में ग्राम ठीकर के पास कक्ष क्रमांक 21 एवं 22 टीकर बीट के अन्तर्गत पाया

गया है। उक्त क्षेत्र गोविन्दगढ़ छुहिया पहाड़ के नीचे स्थित है। इस क्षेत्र में गोविन्दगढ़ स्टाफ एक माध्यम है, वनों की साईट क्वालिटी IVB भी है तथा शस्य घनत्व 0.2 से 0.4 है। इस क्षेत्र में वनों के साथ-साथ पर्याप्त जल भण्डार भी पाया जाता है। क्षेत्र की ढाल प्रवणता समतल से मध्यम है। इन कक्षों में साल वृक्षों के साथ-साथ सागौन प्रजाति के वृक्ष भी बहुतायत मात्रा में पाये जाते हैं। इन दोनों मुख्य प्रजातियों के साथ-साथ कई प्रकार के वृक्ष, झाड़ी, बेलें, कन्द तथा शाक घास प्रजातियां भी इस क्षेत्र में मिलती हैं। इन दोनों कक्षों में साल एवं सागौन के साथ अन्य प्रजातियां पाई गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1	वृक्ष प्रजातियां	लैंडिया, पलास, धावड़ा, तेन्दू, दूधी, अचार, अंजन, अमलतास, आंवला, खैर, अर्जुन, बहेड़ा, महुआ, साजा, सेमल, सादन, कैमा, पतिमन, हल्दू, कहुआ, महुआ, चिरौल, करंज आदि।
2	झाड़ी प्रजातियां	करोंदा, गोखरू, वनतुलसी, हरसिंगार, मरोडफली आदि।
3	बेलाएं	अमरबेल, केवॉच, डोकरबेल, गुडबेल, दूधीबेल, पानीबेल, गिलोय, कलिहारी, अनन्तमूल, गुडमार आदि।
4	कंद	जंगली प्याज, जंगली हल्दी, सतावर, सफेद मूसली, काली मूसली, केवकंद, तीखुर, मालकंद, विदारी कंद आदि।
5	शाक	शंखपुष्पी, पत्थर चट्टा, गोरखमंडी, चिरौटा, सर्पगंधा, अश्वगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी, अपामार्ग, गोखरू आदि।
6	घास	फुलेरा, दूब, पोनिया, रोशा, चिनार आदि।

इन कक्षों में साल प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है जबकि सागौन प्रजाति प्राकृतिक होने के साथ-साथ पूर्व के वर्षों में रोपण के फलस्वरूप अब यहां स्थापित हो चुकी है। साल प्रजाति के वृक्षों की अवस्था परिपक्व है जबकि सागौन वृक्ष युवा से मध्यम अवस्था के हैं। यह क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र होने के साथ-साथ जैव विविधता की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है एवं कुछ जीवों में उनकी वृद्धि के लिए, घोंसले निर्मित करने अथवा शिकार अथवा भोजन जैसी गतिविधियों के लिये एक संक्रमणकालीन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अतः इसके संरक्षण के लिये विशेष प्रयास किये जाने की अवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।



वर्मी कम्पोस्ट में वैल्यू एडिशन

भूमि की उर्वरकता को टिकाऊ बनाने एवं सतत् उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं की पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किये हैं जिन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा एवं आर्थिक दृष्टि से जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अत्यधिक लाभकारी हैं तथा सभी प्रकार के पौधों की बढ़त के लिए आवश्यक तत्व जैसे—नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं सल्फर की उपलब्धता को बढ़ाकर पौधों की वृद्धि में अत्यन्त सहायक होते हैं। जैव उर्वरक सहजीवी कवक (फंजाई) से तैयार किये जाते हैं, राइजोबियम एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, पी.एस.बी.(फॉस्फोरस सोल्यूबिनलाइंजिंग बैक्टीरिया) आदि प्रमुख जैव उर्वरक हैं। पौधों की वृद्धि तथा पौधों को अनेक रोगों से बचाना इनका प्रमुख कार्य है। अनुसंधान एवं विस्तार की समस्त रोपणियों में यह कार्य किया गया है। इस कार्य हेतु 1 किंवद्वि वर्मीकम्पोस्ट के चार हिस्से करके एजेटोबैक्टर, पी.एस.बी., ट्राइकोडर्मा तथा स्यूडोमोनास पृथक-पृथक कर चार हिस्सों में 1-1 लीटर मिश्रित कर उपरोक्त बने हुए मिश्रण को 24 घन्टे रखा जाता है तत्पश्चात् इनका उपयोग पॉलीथिन बैग भरने में उपयोग किये जाने वाले मिट्टी में किया जाता है। पॉलीथिन बैग भरने हेतु तैयार किये गए पॉटिंग मिश्रण,

प्रत्येक पॉलीथिन बैग में 100 ग्राम वैल्यू एडेड वर्मी कम्पोस्ट मिलाकर उपयोग किया जाता है।

एजेटोबैक्टर पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर मृदा को उर्वर बनाता है। पी.एस.बी. पौधों में फॉस्फोरस की उपलब्धता सुगम करता है। ट्राइकोडर्मा बीमारियों से रोकथाम करता है तथा स्यूडोमोनास पौधों की बढ़त में सहायक होता है।

स्यूडोमोनास का उपयोग 200 लीटर पानी में 1 लीटर स्यूडोमोनास का घोल बनाकर स्प्रे पंप के द्वारा पौधों पर किया जाता है। स्यूडोमोनास के उपयोग से पौधों में वृद्धि एवं विटामिन की कमी दूर होती है।

इस प्रकार का कार्य एवं प्रयोग देश में प्रथम बार वन विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश की सभी रोपणियों में ये कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसके परिणाम पर भी अध्ययन किया जा रहा है।

केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट)

केंचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यक कच्चा माल :

जानवरों का गोबर, कृषि अवशिष्ट, पादप उत्पाद, शहरी अवशिष्ट आदि का उपयोग किया जाता है।



केंचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यकताएँ :

- पक्के बेड अथवा कच्चे बने हुए बेड।
- केंचुआ खाद बनाने के बेड में पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे का प्रबन्ध।
- पिट के अंदर हवा का उचित प्रवाह का प्रबंध होना चाहिए।
- केंचुआ खाद को सुखाने की व्यवस्था होना चाहिए।
- प्रसंस्कृत केंचुआ खाद हेतु भण्डार की व्यवस्था।

केंचुआ खाद बनाने की विधि :

- मोटे कार्बनिक अपशिष्ट जैसे पत्तियाँ, शाकीय पौधों के तने, भूसी आदि से खाद बनने में कम समय लगता है।
- कचरे से दुर्गंध हटाने तथा अवांछित जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को एक फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है।
- केंचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर 3 से 4 इंच मोटाई में अपशिष्ट घास आदि बिछा दें व इसे पानी छिड़कर गीला करें।
- 2 इंच मोटी तह पूर्णतया डिकम्पोस्ट गोबर की सड़ी हुई खाद बिछा दें इस पर पानी छींट कर नम कर दें।
- सड़े कम्पोस्ट में केंचुआ को डालें।
- शीघ्र व आसानी से सड़ने गलने योग्य कार्बनिक वेस्ट जैसे गोबर या कृषि या सज्जियों के छिलके आदि का मिश्रण जिसका प्रारम्भिक डिकम्पोजिशन हो चुका हो उसका उपयोग किया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केंचुआ खाद को फर्श पर फैला देते हैं तथा नमी 30 से 40 प्रतिशत तक रह जाती है तो इसे एकत्र कर प्लास्टिक की थैली में रखा जावें ताकि नमी की कमी ना हो।
- गड्ढे का आकार 10मी. x 1मी. तथा गहराई 2 से 2.5 फीट रखें। 1 वर्ग मीटर में 1 कि.ग्रा. केंचुआ पर्याप्त रहता है।
- पिट में पर्याप्त वायु संचार बना रहे तथा मिश्रण हल्का नम रहे। ज्यादा नमी से केंचुआ मिश्रण की गहराई में नहीं जाता है तथा मिश्रण एनिरोबिक तरीके से सड़ता है जिसे केंचुआ खाद नहीं कहा जा सकता। खरपतवार 60 से 70 प्रतिशत तक सड़ी गोबर में मिला सकते हैं। खरपतवार को बायोडायजेस्टर से सड़ा लें या ताजा गोबर के घोल से सड़ा लें फिर गोबर के साथ मिलायें तो केंचुआ खाद 30 से 35 दिनों में बन जाता है।
- केंचुआ से खाद बनाने हेतु सामान्यतः आईसेनिया को

फोयटीडा या यूड्रिल्स युजिनी का उपयोग किया जाता है। यह द्विलिंगी जीव है एवं इसकी आयु 2-3 वर्ष होती है। वर्मी टॉका का आधार सामान्यतः 1 मी. चौड़ा, 10 मी. लंबा एवं 50 सेमी. ऊँचा रखना चाहिए तथा प्रति मीटर 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक केंचुआ छोड़ना चाहिए। निचली सतह हल्का ढालदार रखना चाहिए एवं अतिशेष पानी की निकासी की व्यवस्था भी करना चाहिए। जिससे अतिशेष पानी जमा न हो एवं इसे वर्मीवाश के रूप में एकत्र करना चाहिए।

वर्मीकम्पोस्ट में पाये जाने वाले पोषक तत्व	
पोषक तत्व	मात्रा
आर्गेनिक कार्बन	9.15 से 17.98 प्रतिशत तक
नाइट्रोजन	0.5 से 1.5 प्रतिशत तक
फॉस्फोरस	0.1 से 0.3 प्रतिशत तक
पोटैशियम	0.15 से 0.56 प्रतिशत तक
कैल्शियम व मैग्नीशियम	22.67 से 70 प्रतिशत तक
कॉपर	2.0 से 9.5 प्रतिशत तक
आयरन	2.0 से 9.3 प्रतिशत तक

केंचुआ खाद के लाभ :

- केंचुआ खाद में पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं।
- केंचुआ खाद के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक समय तक कायम रहती है।

● वर्मी वॉश :-

- वर्मी वॉश एक भूरे रंग का तरल उर्वरक है, जिसे तैयार वर्मीकम्पोस्ट से निकले हुए जल को संग्रहित कर बनाया जाता है। वर्मी वॉश में पोषक तत्व सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं।

● उपयोग :-

- फसलों में फोलियर स्प्रे करने में उपयोग किया जाता है।
- पौधों को बीमारियों से कीटों से सुरक्षित कर पौधों को स्वरस्थ रखता है।

● वर्मी वॉश का पौधों पर प्रभाव :-

- वर्मी वॉश का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि एवं विकास में गुणात्मक वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ कीट एवं बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त होती है।

वन्यप्राणी सप्ताह

राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2018, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2018 कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने पैंटिंग बनाकर वन्यप्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया।

प्रथम दिवस चित्रकला प्रतियोगिता : यह प्रतियोगिता 5 वर्गों में दिनांक 1 अक्टूबर को आयोजित की गई। इसमें वर्गवार विषय 1. वन विहार के वन्यप्राणी, 2. हमारे वन एवं शाकाहारी वन्यप्राणी, 3. प्राकृतिक सौंदर्य स्थल, 4. आकर्षक प्राकृतिक दृश्य, 5. अपनी पसंद के विषय पर चित्रकारिता की गई। प्रतियोगिता में लगभग 65 शिक्षण संस्थाओं के लगभग 1580 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव वन द्वारा ''प्लास्टिक इन द वार्ल्ड'' प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। यह प्रदर्शनी विश्व प्रकृति निधि भारत की संचालक श्रीमती संगीता सक्सेना के सहयोग से लगाई गई थी।



वन विहार में ''बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर'' वन विहार के प्रथम संचालक स्व. श्री पी.एम. लाड की याद में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री के.के. सिंह अपर मुख्य सचिव वन द्वारा किया गया।



02.10.2018 (दिवस दो) फोटोग्राफी प्रतियोगिता : दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को प्रातः 07.00 बजे से फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें डा. संजय शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा फोटोग्राफी कार्यशाला में प्रतिभागियों को आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।







रंगोली प्रतियोगिता : दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों ने “मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली तितलियाँ” विषय पर तथा खुले वर्ग द्वारा “मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले वन्यप्राणी” विषय पर कुल 223 प्रतिभागियों ने सुंदर रंगोली का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य बच्चों का पक्षी-तितलियों आदि के प्रति लगाव उत्पन्न करना एवं संदेश प्रसारित करना था।

03.10.2018 (दिवस तीन) शिक्षक कार्यशाला : प्रातः 10.30 बजे विहार वीथिका में विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों हेतु "वन्यप्राणी संरक्षण में शिक्षकों की भूमिका" विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ श्रीमती समीता राजोरा, संचालक, वन विहार के वक्तव्य से प्रारंभ हुआ एवं उन्होंने कार्यशाला में आये शिक्षकों को विषय वस्तु 1. Snake awareness, 2. Vulture awareness and 3. Wild animals not to be kept as pets तथा उसके महत्व से अवगत कराया। इस कार्यशाला में भोपाल स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 34 शिक्षक/शिक्षिकाओं ने सक्रिय भाग लिया।



04.10.2018 (दिवस चार) सृजनात्मक कार्यशाला : वन्यप्राणी सप्ताह 2018 के अंतर्गत दिनांक 04 अक्टूबर 2018 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्कूली बच्चों हेतु सृजनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के कुल 276 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री अरविन्द अनुपम, मूर्तिकार क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के द्वारा कले मॉडलिंग के माध्यम से कछुआ बनाना बच्चों को सिखाया गया।





पोस्टर प्रतियोगिता : वन्यप्राणी समाज के दौरान टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के सहयोग से प्रथम बार पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से प्राप्त 30 प्रतिभागियों के द्वारा बनाये गये पोस्टरों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री सत्यानंद, मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में श्री यू.के. सुबुद्धि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री सुदीप सिंह मुख्य वन संरक्षक राजधानी परियोजना, श्री सत्यानंद मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक उद्यानिकी विभाग, श्री अभिनंदन शुक्ला टाइगर लेंड इंडिया फिल्म फेरस्टीवल एवं श्री रितेष सरोठिया, उप वनसंरक्षक एस.टी. एस.एफ. तथा श्री रजनीश सिंह उप वनसंरक्षक उपस्थित रहे।




05.10.2018 (दिवस पाँच) पॉम पेंटिंग/मेहंदी प्रतियोगिता : राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2018 के दौरान वन विहार में प्रथम बार “वन्यप्राणी” थीम पर मेहंदी एवं पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन खुले वर्ग हेतु किया गया। पॉम पेंटिंग में 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं मेहंदी प्रतियोगिता में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता : दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को वन विहार में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन विश्व प्रकृति निधि भारत संस्था के सहयोग से किया गया।

इस अवसर पर मिस अर्थ इंडिया 2017 कु. शान सुहास कुमार द्वारा प्रतिभागियों को वन्यप्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित किया गया।



06.10.2018 (दिवस छः) युवा संसद : प्रदेश में प्रथम बार श्री शाहबाज अहमद, मुख्य वन्यप्राणी अभिक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश की प्रेरणा से वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अभिनव प्रयोग करते हुये युवा संसद (यूथ पार्लियामेंट) का आयोजन किया गया। युवा संसद में मध्यप्रदेश के समस्त 16 वन वृत्तों से चयनित 64 छात्र/छात्राओं ने वृत्तों का प्रतिनिधित्व करते हुये वन्यप्राणी संरक्षण से सम्बंधित विषयों पर अपना पक्ष रखा।




07.10.2018 (दिवस सात) फेसी ड्रेस प्रतियोगिता : दिनांक 07 अक्टूबर 2018 को प्राथमिक विद्यालय एवं के.जी. के छात्र/छात्राओं के लिये "वन्यजीव" थीम पर आधारित यह प्रतियोगिता विहार वीथिका वन विहार में आयोजित की गई।


समापन एवं पुरस्कार वितरण दिनांक 07 अक्टूबर को राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2018 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआ।

दिनांक 07.10.18 को कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रदेश स्तरीय राज्य वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार का वितरण भी श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव वन, मध्यप्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य में किया गया।





वन्यप्राणी सप्ताह-कान्हा : कान्हा टाइगर रिजर्व में 1-7 अक्टूबर तक वन्यप्राणी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बचों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गयी थी जिसमें स्कूली बचों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पन्ना में एक साल के हाथी के बचे (बापू) का केक काटकर बर्थडे मनाया गया। एक साल पहले 2 अक्टूबर के दिन ही इस हाथी के बचे का जन्म हुआ था।



पन्ना टाइगर रिजर्व - हाथी बापू का जन्म दिवस मनाया गया।

सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण-वन विहार, भोपाल

दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2018 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण का शुभारंभ श्री एम.के. सपरा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश तथा श्री शाहबाज अहमद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री दिलीप कुमार, संचालक वन विहार श्रीमती समीता राजोरा एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्प विशेषज्ञ श्री जैरी मार्टिन, फाउंडर, द जैरी मार्टिन प्रोजेक्ट कर्नाटका उपस्थित थे।

सर्प रेस्क्यू के दौरान कई सर्पों के मर जाने एवं कई बार सर्प रेस्क्यू करने वालों को भी सर्पदंश के कारण शिकार होने की खबरें उजागर होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार विभागीय तौर पर सर्प रेस्क्यू की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने, जन सामान्य की सुरक्षा के लिये सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वनरक्षकों/वन विभाग में कार्यरत स्थाई कर्मियों को प्राथमिकता पर प्रशिक्षण देते हुये सुरक्षित सर्प रेस्क्यू करने की दक्षता विकसित की जाये। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के 16 वन वृत्तों से आये वनपाल/वनरक्षकों/स्थाई कर्मियों को दो दिवसीय सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया गया।

श्री जैरी मार्टिन द्वारा सर्प रेस्क्यू प्रशिक्षण में 16 वन वृत्तों से आये 53 प्रशिक्षणार्थी कार्यपालिक कर्मचारियों को सांप रेस्क्यू करने एवं उन्हें उनके प्राकृतिक रहवास में छोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम दिवस श्री जैरी मार्टिन द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कर्मचारियों को सर्पों को रेस्क्यू करने के सम्बंध में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा सर्पों की प्रजातियों में से विषधर एवं विषहीन सर्पों की पहचान, उनके रहवास के बारे में तथा मनुष्यों की आबादी क्षेत्र से बिना उनको नुकसान पहुंचाये रेस्क्यू करने एवं उन्हें वापस उसी क्षेत्र के आस-पास उनके रहवास क्षेत्र में छोड़ने के सम्बंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्रीमती समीता राजोरा संचालक वन विहार द्वारा कर्मचारियों को पारिस्थितिकीय तंत्र में सर्पों की भूमिका एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची में रखे गये



विभिन्न प्रजाति के सर्पों की अनुसूची के सम्बंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा सर्पों को नुकसान पहुंचाने एवं उनके अवैध व्यापार में संलिप व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में कार्यपालिक अमले को जानकारी दी गई।

दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को श्री जैरी मार्टिन द्वारा प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों को वन विहार के सर्प ट्रांजिट सेंटर में रखे गये विभिन्न प्रजाति के सर्पों जैसे कोबरा, रसैल वाईपर, धामन, पायथन एवं सेंडबोआ सर्पों की समक्ष में पहचान कराई गई। श्री जैरी मार्टिन द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी को उपरोक्त प्रजाति के सर्पों को बिना नुकसान पहुंचाये रेस्क्यू करने एवं उन्हें वापस रहवास में छोड़ने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया तथा सर्पों के रेस्क्यू की तकनीकी बारीकियों से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सर्प रेस्क्यू के दौरान सर्प को बिना छुये व नुकसान पहुंचाये उसे अप्राकृतिक स्थिति से बचाकर नैसर्जिक स्थल पर जहाँ तक हो सके उसके प्राकृतिक रहवास के आस-पास ही जल्द से जल्द छोड़ा जाये और साथ ही उपस्थित आम जनता को सर्पों के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जाये। इस अवसर पर संचालक वन विहार श्रीमती समीता राजोरा भी उपस्थित रहीं। उनके द्वारा समस्त प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों को सर्प रेस्क्यू किट तथा प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

इस विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन देश में प्रथम बार किया गया, जिसमें वन विभाग के वनरक्षकों को सर्प रेस्क्यू की दक्षता प्रदेश स्तर पर दी गई। मध्यप्रदेश वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को प्रशिक्षित करने का यह एक सफल प्रयास रहा तथा भविष्य में इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

गौरैया संरक्षण- सामान्य वनमण्डल, विदिशा

बचपन की सुखद स्मृतियों में सबसे पहली पक्षी गौरैया ही रहती है और बच्चा सबसे पहले इसे ही पहचानना सीखता है। इस पक्षी का घोंसला लगभग हर घर में होता है। प्राचीन काल से ही ये पक्षी हमारे आसपास रहती आ रही है और ये हमारी स्वतंत्रता, परंपरा और संस्कृति की संवाहक भी है। संख्या में लगातार गिरावट से इस पक्षी पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसको बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल इसे राजकीय पक्षी घोषित किया है।

वन विभाग गौरैया पक्षी को आइकन बनाकर उसके संरक्षण के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक बनाने में जुटा हुआ है। इसके तहत जिले भर के स्कूलों में जाकर वन विभाग की टीम के सदस्य गौरैया पक्षी के संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को जागरूक कर रहा है। गौरैया के संरक्षण के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं तथा गौरैया के घोंसले लगाकर उन्हें आसरा भी दे रहे हैं।

गौरैया प्रजाति पर संकट के कारण :

- पुराने कच्चे घरों की जगह आज पक्के मकानों का बड़ी संख्या में निर्माण होने से गौरैया पक्षी को घोंसला बनाने की जगह नहीं है।
- शहरीकरण के दौर में घरों में बगीचों के लिए स्थान नहीं होना।
- पेट्रोल के दहन से निकलने वाला मेथिल नाइट्रेट छोटे कीटों के लिए विनाशकारी है। जबकि यही कीट गौरैया के चूजों के खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें खाने से उनका जीवन खतरे में पड़ गया है।
- मोबाइल फोन के टावरों से निकलने वाली तरंगों से भी इस प्रजाति को काफी नुकसान पहुँच रहा है।

वन विभाग के डी.एफ.ओ. के अनुसार विकास यादव द्वारा गौरैया पक्षी के संरक्षण को लेकर काफी समय से अभियान चलाया जा रहा है। खास किस्म के घोंसले बनाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लगाकर गौरैया को आसरा देने की उनकी पहल से कई लोग प्रेरित हुए हैं।

गौरैया कुटी बनाकर गौरैया संरक्षण कार्य

वन विभाग टीम द्वारा स्कूली बच्चों को गौरैया संरक्षण पर संदेश एवं जागरूकता



वन विभाग टीम द्वारा बालिका छात्रावास बागरी में गौरैया संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान



मध्यप्रदेश में द्वितीय प्रदेश व्यापी गिर्द गणना




मध्यप्रदेश में द्वितीय बार प्रदेश व्यापी गिर्द गणना का कार्य दिनांक 12 जनवरी, 2019 को सम्पादित किया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में 885 स्थानों पर गिर्दों के आवास स्थल चिन्हित किये गये हैं। सबसे अधिक 94 गिर्द आवास स्थल छिंदवाड़ा जिले में चिन्हित किये गये हैं। दूसरे स्थान पर रायसेन जिला है, जहां 80 गिर्द आवास स्थल चिन्हित किये गये एवं तीसरे स्थान पर मंदसौर जिला है, जहां 78 गिर्द आवास स्थल चिन्हांकित किये गये हैं। जिन जिलों में गिर्दों के आवास स्थल हैं वे हैं – भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, भिण्ड, दतिया, इन्दौर, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, दमोह, सागर, अनुपपुर,

शहडोल, उमरिया, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर एवं नीमच।

वन विभाग द्वारा वृत्त स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को गिर्दों के चिन्हांकन आदि के संबंध में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश व्यापी गिर्द गणना वर्ष 2019 एकल चरण में दिनांक 12 जनवरी, 2019 को संपादित की जाएगी। संकलित जानकारी एवं गणना के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में गिर्द आवास स्थलों के संरक्षण की रणनीति तैयार की जावेगी। जिन जिलों में गिर्द आवास स्थल विद्यमान हैं वहां वास्तविक गणना के कार्य में इकछुक व्यक्ति एवं संस्थाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं। इसके लिए पूर्व से संबंधित वनमंडलाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।



1. काला गिर्द (Cinereous Vulture)

पहाड़ों की गुफाओं एवं कंदराओं में अपना घोंसला बनाते हैं। पूरा शरीर हल्का भूरे रंग का होता है तथा हल्के गुलाबी रंग का पैर एवं लंबे एवं हल्के भूरे रंग का कॉलर होता है।



2. सफेद गिर्द (Egyptian Vulture)

चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं, नुकीला, पीला चेहरा, मटमैला सफेद पंख एवं उड़ने वाले पंख काले रंग के होते हैं।



3. देशी गिर्द्ध (Long Billed Vulture)

एकांत ऐतिहासिक इमारतें, पहाड़ों की ऊंची कंदराओं में घोंसले बनाते हैं। रंग रेतीला होता है। शरीर का रंग हल्का रेतीला-भूरा, गर्दन और सिर कालापन लिए होता है। गर्दन के ऊपरी भाग पर हल्के पंख और चोंच का रंग धूमिल सफेद साफ दिखायी देता है।

4. सफेद पीठ गिर्द्ध या चमर गिर्द्ध (White Backed Vulture)

गिर्द्ध की यह प्रजाति पीपल, अर्जुन, तेंदु, इत्यादि पर अपना घोंसला बनाते हैं। इनका रंग काला होता है। उड़ते हुए गिर्द्ध के पीठ पर सफेद रंग की लाइन दिखाई देती है और शरीर का समस्त पंख कालापन लिए होता है।



5. राज गिर्द्ध (Red Headed Vulture/King Vulture)

गिर्द्ध की ये प्रजाति पीपल, अर्जुन, तेंदु, इत्यादि पर अपना घोंसला बनाते हैं। इनका पेट काला, पेट के दोनों तरफ सफेद धब्बा होता है। सिर, गर्दन और पैरों का रंग लाल होता है।



6. हिमालयी गिर्द्ध (Himalayan Griffon Vulture)

ये अपना घोंसला ऊंची पहाड़ी चोटियों एवं पर्वतों की कंदराओं पर बनाते हैं। इनका समस्त शरीर हल्के भूरे रंग का होता है। पैर हल्के गुलाबी रंग का, लंबे एवं हल्के भूरे रंग का कॉलर होता है।

7. यूरोशियाई गिर्द्ध (Eurasian Griffon Vulture)

ये ऊंचे पहाड़, सूखे मैदान, सीधी खड़ी तथा मानव पहुंच विहीन चट्टान पर अपना घोंसला बनाते हैं। इनका समस्त शरीर कत्थई रंग का, धुमैले सफेद या हल्के गुलाबी रंग के पैर होते हैं। इनकी चोंच बड़ी, मोटी, पुष्ट चोंच, सिर व गर्दन उनी, सफेद गुलबंद होता है।

बाघों का पुनर्स्थापन

कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ को संजय टाइगर रिजर्व भेजा गया

मण्डला एवं बालाघाट जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व भारत ही नहीं, अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वोत्तम संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। साल एवं मिश्रित वर्षों से आच्छादित एवं घास के मैदानों को संजोये हुये, कान्हा वर्तमान में अति संकटग्रस्त वन्यप्राणी जैसे-कड़ी भूमि के बारासिंघा एवं बाघ के प्रभावकारी संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है।

इस अनाथ बाघ को इसकी बाधिन माँ की आपसी लड़ाई में मृत्यु होने के बाद कान्हा प्रबंधन द्वारा परिश्रम से दिनांक 24/04/2016 को खोजा गया एवं अत्यंत कमजोर होने के कारण इसका पूर्ण उपचार किया गया। उस समय शावक की उम्र लगभग 3-4 माह थी। प्रारंभिक कुछ सप्ताहों तक इसे मुक्की स्थित क्वारेंटाईन हाउस में रखने के बाद इसे घोरेला बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया। धीरे-धीरे यह शावक बड़ा होने लगा एवं बाड़े में पहुंचाये गये शाकाहारी वन्यप्राणियों का प्राकृतिक रूप से शिकार करने लगा। समय के साथ इसमें जंगली बाघ के स्वाभाविक हिंसक गुण देखे जाने लगे तथा जिस चतुराई एवं फुर्ती से यह शिकार करता था उससे यह विश्वास होने लगा कि यह मुक्त विचरण हेतु अन्यत्र छोड़े जाने हेतु तैयार हो चुका है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश एवं सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस लगभग 3 वर्षीय बाघ को किसी कम बाघ-घनत्व वाले संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाना था एवं इस हेतु संजय टाइगर रिजर्व का चयन किया गया। इस तरह इस बाघ को बाड़े से निकालकर संजय टाइगर रिजर्व भेजे जाने की तैयारियाँ आरंभ कर दी गयीं। चूंकि इसके पूर्व भी कान्हा से बाघों को अन्यत्र भेजा जा चुका था अतः अधिकारी/कर्मचारीण मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार थे। श्री एल. कृष्णमूर्ति, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व के कुशल मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। श्री विंसेंट रहीम, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व अपने चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक दिवस पूर्व कान्हा पहुंच गये थे। बाघ के निश्चेतीकरण एवं परिवहन के एक दिवस पूर्व कान्हा टाइगर रिजर्व एवं संजय टाइगर रिजर्व के कुछ अधिकारियों/वन्यप्राणी चिकित्सकों एवं क्षेत्रीय अमले की टीम गठित की गयी तथा प्रत्येक को उनके दायित्वों/जिम्मेदारियों के बारे में समझाया गया। इसके





अतिरिक्त दिनांक 09/12/2018 को बाघ को बाड़े के अंदर हाथियों द्वारा खोजने, उसके वजन का आकलन करने, स्ट्रेचर में रख कर वजन तौलने, तथा परिवहन ट्रक के पिंजरे में रखने का पूर्ण गंभीरता के साथ छद्म अभ्यास किया गया। छद्म अभ्यास के पश्चात दूसरे दिनांक 10/12/2018 को श्री एल. कृष्णमूर्ति ने टीम को यथासंभव समन्वयित होकर इस ऑपरेशन को सफल बनाने हेतु आवश्यक समझाइश दी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान किया।

दिनांक 10/12/2018 को यह ऑपरेशन प्रातः लगभग 11 बजे आरंभ किया गया। रणनीति के अनुसार कान्हा, पेंच एवं संजय टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने हाथियों में बैठकर बाड़े के अंदर प्रवेश कर बाघ के यथासंभव समीप जाने का प्रयास किया। वन्यप्राणी चिकित्सकों की योजना अनुसार बेहोशी की उचित दवा का प्रयोग करते हुये निश्चेतीकरण बंदूक के द्वारा बाघ को बेहोश कर दिया गया। बेहोश हो जाने के पश्चात बाघ को स्ट्रेचर में लाद कर बाड़े के बाहर लाया गया। बाड़े के बाहर एक पेड़ से लटकी हुयी इलेक्ट्रानिक तराजू द्वारा इस बाघ का वजन किया गया।

वजन के पश्चात चिकित्सकों द्वारा बाघ के रक्त नमूने लिये गये ताकि इसका विश्लेषण कर बाघ के स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें। इस दौरान कान्हा, पेंच तथा संजय टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक लगातार बेहोश बाघ का अनुश्रवण करते हुये उसके सांस की दर, दिल की धड़कन, शारीरिक तापमान एवं नब्ज आदि का अवलोकन करते रहे। इस दौरान राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से आये हुये अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बाघ के गले में सैटेलाइट रेडियो-कॉलर बांधी गयी ताकि संजय टाइगर रिजर्व में इसे मुक्त करने के पश्चात उपग्रह

से प्राप्त होने वाले संकेतों से इसके विचरण का अनुश्रवण किया जा सके। इस दौरान आवश्यतानुसार बेहोश बाघ पर ठंडे पानी का छिड़काव किया गया ताकि बेहोशी की दवा से शारीरिक तापक्रम आवश्यकता से अधिक न हो। वन्यप्राणी चिकित्सकों द्वारा बाघ को आवश्यकतानुसार एंटीबायोटिक एवं दर्द निवारक दवाओं के इंजेक्शन भी दिये गये।

बाघ को परिवहन ट्रक में रखे जाने वाले पिंजरे के अंदर रखने के पश्चात वन्यप्राणी चिकित्सकों द्वारा बाघ को बेहोशी से बाहर लाने वाली दवा का इंजेक्शन दिया गया। पिंजरे सहित इस बाघ को विशेष रूप से निर्मित परिवहन ट्रक में हाईड्रोलिक सिस्टम द्वारा चढ़ा दिया गया। अब यह बाघ परिवहन हेतु तैयार था।

अपरांह लगभग 3 बजे इस परिवहन ट्रक में घोरेला बाड़े से बाघ को संजय टाइगर रिजर्व हेतु निर्धारित सड़क मार्ग द्वारा रवाना कर दिया गया।

इस तरह कान्हा का यह बाघ दिनांक 11/12/2018 को प्रातः लगभग 4 बजे संजय टाइगर रिजर्व पहुंच गया एवं इसे अधिकारियों की उपस्थिति में मुक्त विचरण हेतु छोड़ दिया गया। आशा है कि यह बाघ संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वृद्धि में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा।



प्रशंसा एवं पारितोषिक

मध्यप्रदेश एसटीएफ वन्यप्राणी को अर्थ हीरोज अवार्ड

अर्थ हीरोज अवार्ड : अर्थ हीरोज अवार्ड्स 2011 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम के सहयोग से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा स्थापित किए गए हैं। आरबीएस अर्थ हीरोज पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो महत्वपूर्ण इको-सिस्टम को संरक्षित और संबंधित करने के लिए असाधारण रूप से कठिन काम करते हैं।

एसटीएफ के कार्यों की न केवल देश बल्कि विदेशों में भी सराहना की गई है। इसी कड़ी में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड फाउंडेशन द्वारा संस्थागत श्रेणी हेतु पेंगोलीन एवं अन्य वन्यप्राणियों संबंधी अपराध अन्वेषण में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश वन्यप्राणी एसटीएफ को अर्थ हीरो अवार्ड, 2018 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार में दल को 2.00 लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार 26 अक्टूबर 2018 को महामहिम उप राष्ट्रपति भारत गणराज्य के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश वन्यप्राणी एसटीएफ के पुरस्कृत किये गए 9 सदस्यीय दल के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :



1. रितेश सिरोठिया, उप वन संरक्षक
2. श्री इन्द्र सिंह बारे, वन क्षेत्रपाल
3. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, वनपाल
4. श्री उमंग वर्मा, वनरक्षक
5. श्री अनिल यादव, वनरक्षक
6. श्री रवि शर्मा, वनरक्षक
7. श्री शैलेन्द्र गर्ग, वनरक्षक
8. श्री प्रदीप यादव, वनरक्षक
9. श्री धर्मेन्द्र मोहारे, वनरक्षक



ग्रीन केलेंडर 2019

मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी वर्ष 1997 से प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही पंजीकृत संस्था है। सोसायटी द्वारा प्रदेश के युवाओं और जन सामान्य में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभिनव पहल करते हुए केलेंडर एवं पोस्टर बनाकर उन्हें प्रदेश के शैक्षणिक एवं अन्य उपयुक्त संस्थानों को प्रदाय किया जा रहा है।

सोसायटी के द्वारा भारत के पहले “ग्रीन केलेंडर 2019” का निर्माण किया गया है। ग्रीन केलेंडर में प्रत्येक माह के अंतर्गत जिन दिवसों में पर्यावरण अथवा वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आते हैं उन्हें हरे रंग के पत्ती से हाईलाइट किया गया है एवं वह दिवस क्यों आयोजित किया जाता है, यह दर्शाया गया है। इस केलेंडर को देखकर छात्र-छात्राएं यह जान सकेंगे कि आगामी दिवसों में वन्यप्राणी/पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। ग्रीन केलेंडर में उल्लेखित दिवसों के बारे में पर्याप्त समय रहते हुए जानकारी हो जाने पर विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इन दिवसों को सुनियोजित रूप से समारोह पूर्वक आयोजित भी किया जा सकेगा। ग्रीन केलेंडर की मदद से वर्ष भर संरक्षण विषयों के कार्यक्रम

आयोजित किये जा सकेंगे एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार होगा। ग्रीन केलेंडर में मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली 12 महत्वपूर्ण/आकर्षक पक्षियों के उच्च कोटि के चित्र भी प्रदर्शित किये गये हैं। उक्त चित्र संपूर्ण भारत से वन्यजीव चित्रकारों ने निःशुल्क प्रदाय किये हैं। इसके अतिरिक्त सोसायटी द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर पोस्टर बनाकर भी शैक्षणिक संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की शुरुआत की गयी है। वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान सोसायटी द्वारा आयोजित किये गये पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं के 3 पोस्टर्स को प्रथम चरण में छपवाया गया है। श्री रोहित शुक्ला द्वारा बनाया गया पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया था। इसमें यह दर्शाया गया है कि बाघ को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। संरक्षण वैज्ञानिक इसे अपनी भाषा में “टाइगर इज ए अम्ब्रेला स्पीशीज़” कहते हैं अर्थात् बाघ अपनी उपस्थिति से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को छाते के समान सुरक्षा प्रदान करता है। पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि बाघ की छतरी जो कि वृक्षों की पत्तियों से बनी है, के नीचे किस्म-किस्म के वन्यप्राणी, मानव समुदाय, नदियां, उद्योग आदि सभी आश्रय पाते हैं।




बघानी सीताफल-वन सुरक्षा समिति खैरमटाकोल, जिला सिवनी-एक प्रयास

मध्यप्रदेश के उत्तर सिवनी वनमण्डल का छपारा परिक्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के छपारा परिक्षेत्र का ग्राम खैरमटाकोल बंधानी उच्च गुणवत्तायुक्त सीताफल उत्पादन हेतु पहचाना जाता है। पूर्व में ग्रामीण वनों से कच्चे सीताफल तोड़कर बाजार लाते थे जिससे उन्हें एक तरफ उचित दाम नहीं मिलता था वहीं उचित प्रबंधन के अभाव में उत्पादन भी कम होता था। ग्रामीणों से स्थानीय व्यापारी इन्हें खरीदकर दिल्ली एवं नागपुर आदि दूरस्थ स्थानों से आये व्यापारियों को बेच देते थे। इस कारण संग्राहकों को इसका लाभ प्राप्त न होकर स्थानीय व्यापारियों तथा बाहरी क्रेताओं को विशेष रूप से होता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वन विभाग की पहल से इस विक्रय व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इसे समिति स्तर पर नीलामी विक्रय व्यवस्था स्थापित की गई। इन वन समितियों के सदस्य अब सीताफल का संग्रहण, ग्रेडिंग,

पैकिंग करते हैं और बाहर से आये व्यापारियों को स्थानीय प्रतिस्पर्धा के तहत इनका विक्रय करते हैं। जिससे स्थानीय बिचौलियों, व्यापारियों का इस व्यवस्था में स्थान नहीं रह गया। इस नवाचार का परिणाम यह हुआ कि बाह्य व्यापारियों द्वारा फल संग्रहाकों को पूर्व में 100 से 200 रुपये के स्थान पर ₹.700/- प्रति टोकरी दर से भुगतान किया गया। एक टोकरी में करीब 20 से 25 फल आते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समिति की सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस वर्ष अच्छी गुणवत्ता तथा बड़े फल देने वाले सीताफल के वृक्षों की पहचान सुनिश्चित कर इनसे प्राप्त उत्पाद को 80/- प्रति किलो पर समितियों द्वारा बीज प्राप्त करने हेतु अनुसंधान विस्तार इकाइयों को विक्रय किया गया। वृत्तवार जानकारी निम्नानुसार है-

वृत्त का नाम	श्रेणी ''ए''(कि.ग्रा.)	श्रेणी ''बी''(कि.ग्रा.)	श्रेणी ''सी''(कि.ग्रा.)	फल का वजन (कि.ग्रा.)
इन्दौर	220	180	0	400
भोपाल	400	85	0	485
जबलपुर	550	85	0	626
रीवा	400	400	200	1000
सागर	60	0	0	60
सिवनी	20	0	0	20
योग				2591



वैज्ञानिक एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा सीताफल का गहन अध्ययन किया जाना

इनसे प्राप्त बीजों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के फल देने वाले तैयार पौधे कृषकों को वितरित किये जायेंगे जिससे फल उत्पादन वृद्धि सम्भावित है।

वर्ष 2018 में ज.ने.कृ.वि.वि., कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ के उद्यानशास्त्री डॉ. व्ही.के. सिंह द्वारा बंधानी के कृषकों से सीताफल उत्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. सिंह ने उच्च तकनीकी के साथ-साथ सीताफलों को खेत के मेढ़ों तथा खेतों पर रोपण करने की सलाह दी। ग्राम बंधानी के चार कृषकों की खेतों की मेढ़ पर उपलब्ध सीताफल वृक्षों तथा कृषि से उपलब्ध आय का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया जिनके परिणाम निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं-



वैज्ञानिक एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा सीताफल के संबंध में किसान से जानकारी प्राप्त करते हुए

कृषक का नाम	रकवा (एकड़ में)	वर्ष 2017 में सीताफल से प्राप्त आय	वर्ष 2018 में सीताफल से प्राप्त आय
श्री सारलाल पिता श्री लक्ष्मण परते	4.00	60000.00	70000.00
श्री तमसा पिता श्री पाचो मर्सकोले	12.00	150000.00	160000.00
श्री अनुपसी पिता श्री लक्ष्मण परते	4.00	100000.00	110000.00
श्री राजकुमार पिता श्री सवाचन गाँड़	4.00	55000.00	90000.00

आँकड़े दर्शाते हैं कि कृषक श्री तमसा पिता पाचो मर्सकोले द्वारा 12 एकड़ में समस्त लागत मिलाते हुये मक्का फसल से 2.10 लाख रुपये आय रूप में प्राप्त हुए वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मेढ़ों पर रोपित सीताफल वृक्षों से 1.60 लाख रुपये आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। डॉ. व्ही.के. सिंह ने किसानों से आहवान किया कि वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु ब्लॉक प्लान्टेशन करें। कृषकों ने इससे सहमति दी।

वन सुरक्षा समिति खैरमटाकोल ने समिति सदस्यों को वनभूमि में सीताफल वृक्ष आवंटित किये तथा इन वृक्षों से निर्धारित दर पर प्राप्त राशि समिति खाते में जमा करेंगे जिससे समिति को भी आय होगी साथ ही फल संग्राहकों को पका फल तोड़कर बेचने के परिणामस्वरूप अधिक आर्थिक लाभ होगा। वर्ष 2016 से 2018 तक ग्राम बंधानी के 65 परिवारों द्वारा सीताफल विक्रय द्वारा प्राप्त आय का विवरण निम्न रहा-

वर्ष 2016 से 2018 तक 3 वर्षों का बंधानी के 65 परिवारों का सीताफल से आय की जानकारी प्राप्त की गई।

जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2016 में सीताफल से प्राप्त आय- 18,09,000/-
वर्ष 2017 में सीताफल से प्राप्त आय- 25,38,000/-
वर्ष 2018 में सीताफल से प्राप्त आय- 36,88,000/-
उक्त आँकड़े प्रतिवर्ष बढ़ती आय प्रदर्शित कर रहे हैं जिसका मुख्य कारण सीताफल का वन भूमि तथा निजी भूमि में सीताफल पुनरोत्पादन का अच्छा होना तथा विनाश विहीन विदोहन रहा। इसके साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले फलों का स्थानीय स्तर पर उचित दाम मिले इस हेतु वन समितियों द्वारा ग्रामों में ही नीलामी तथा बाजार व्यवस्था सुटूँड़ तथा सुनिश्चित की गई। इस प्रकार छोटे-छोटे व्यवस्था परिवर्तन नवाचारों द्वारा बंधानी में वन सुरक्षा समिति द्वारा ग्रामीणों के हित में सीताफल संग्रहण द्वारा आर्थिक उन्नयन सम्भावित किया। इस वर्ष चयनित वृक्षों के बड़ प्राप्त कर ग्राटिंग का कार्य सिवनी, सागर, रीवा में प्रारम्भ किया गया है तथा तैयार पौधों का रोपणी में आगामी वर्ष में रोपण कर भविष्य में ग्राटिंग कार्य को बढ़ावा दिया जावेगा।

टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला - इन्दौर

मध्यप्रदेश के वनों में जैव विविधता को कायम रखने हेतु यह आवश्यक है कि वनों से ऐसी प्रजातियां जो संकटापन्न/खतरे में आ चुकी हैं अथवा दुर्लभ हैं अर्थात् जिन प्रजातियों के वृक्ष वनों से धीरे-धीरे कम हो रहे हैं तथा उनका अंकुरण भी कठिनाई से प्राप्त होता है, उनके पौधे तैयार किये जाएं एवं वनों में रोपे जाएं। इस हेतु अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इन्दौर में वर्ष 2011 में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी।

उद्देश्य :

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इन्दौर में प्रयोगशाला स्थापना का मुख्य उद्देश्य संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों के पौधे तैयार करना है। इस हेतु वृक्षों से टिश्यू प्राप्त कर प्रयोगशाला में उससे पौधा तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियों के उत्कृष्ट वृक्षों से टिश्यू प्राप्त कर उसके पौधे तैयार करने तथा शीघ्र अतिशीघ्र किस प्रकार पौधे तैयार किये जा सकते हैं इस हेतु शोध कार्य किये जाना है। इसके साथ ही कृषकों हेतु उच्च गुणवत्ता के बांस पौधे भी तैयार किये जाएंगे।



मिस्ट चैम्बर


टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में किये गये विविध शोध कार्य :

टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में विभिन्न दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों के पौधे तैयार करने हेतु शोध कार्य किये गये एवं प्रजातिवार प्रोटोकॉल निर्धारित किये गये। अभी तक निम्नानुसार प्रजातियों पर शोध कार्य किये गये हैं :—

1. सागौन, 2. गरुड़, 3. मैदा, 4. दहिमन, 5. साल, 6. अंजन, 7. सफेद पलास, 8. बेम्बूसा बेम्बूस, 9. बेम्बूसा बालकोआ, 10. डेन्फ्रीकेहेमस (देशी बांस) तथा सागौन, मैदा, साल और सफेद पलास पर शोध कार्य प्रचलित है।

प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति :

वर्तमान में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। हार्डनिंग हेतु मिस्ट चैम्बर भी उपलब्ध हैं। जिसका नियमित उपयोग हो रहा है। प्रयोगशाला की क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त कक्ष का निर्माण भी किया जा रहा है तथा अतिरिक्त आटोकलोव भी उपलब्ध कराया गया है।



टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला



बड़े पौधे



एस.आर.एफ.
एवं जे.आर.एफ.
द्वारा किये जा
रहे शोध कार्य

प्रयोगशाला में वर्तमान में कराये जा रहे कार्य एवं प्रगति :-

दिनांक 03.10.2017 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल द्वारा अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर स्थित टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का निरीक्षण, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, प्रभारी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में स्थापित टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में आवश्यक सुधार, उसका आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ प्रयोगशाला का विस्तार कर पौधों की

उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर बांस की दो प्रमुख प्रजातियों बैम्बूसा बैम्बूस एवं बैम्बूसा बालकोवा (देशी बांस) के एक लाख पौधों को तैयार करने के साथ-साथ संकटापन्न औषधीय प्रजातियों पर अनुसंधान कार्य करने का निर्णय लिया गया, तदानुसार कार्य किये जा रहे हैं।

प्रगति :

वर्तमान में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के पौधा उत्पादन की वार्षिक क्षमता 1.00 लाख पौधों की है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में वर्तमान में प्रयोगशाला के अन्दर व बाहर रोपणी में बैम्बूसा के कुल 15,000 पौधे उपलब्ध हैं।

नई पहल - श्रमिकों ने शुरू किया ड्रेस कोड

अनुसंधान विस्तार उच्चैन की रोपणी के श्रमिकों ने अपने लिवास में नया प्रयोग करते हुए ड्रेस कोड की पहल की है। इसमें उच्चैन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक ने श्रमिकों को प्रोत्साहित किया। श्रमिकों ने स्वयं के खर्च से ड्रेस कोड को अपनाया है। श्रमिकों की इस पहल से प्रदेश के अन्य श्रमिकों को ड्रेस कोड अपनाने एवं स्वच्छ रहने की प्रेरणा मिलेगी।



आर.ई.टी. प्रजाति विषय पर कार्यशाला



दिनांक 25/12/18 को अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा की निमाड रोपणी में रोपणी प्रबंधन एवं आर.ई.टी. प्रजातियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री ए.के. नागर मु.व.सं. तथा डा. शेख मुजफ्फर तथा श्री पुष्प जैन, पर्यावरणविद द्वारा आर.ई.टी. के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान त्रैमासिक तकनीकी बुलेटिन के दिसम्बर अंक का विमोचन भी किया गया।

जैवविविधता बोर्ड द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को पदेन संयुक्त सचिव एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी को पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन अधिकारी घोषित किया गया है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को अपनी अधिकारिता के भीतर जैव संसाधनों तक पहुँच के लिये लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) हेतु व्यापारियों के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. शासन के राजपत्र क्रमांक 38 दिनांक 21.09.18 के अंतर्गत म.प्र. शासन, वन विभाग की

अधिसूचना क्रमांक-आर-1868-957-2018-दस-2 दिनांक 12.09.2018 में किया गया है।

जैव संसाधनों का संरक्षण एवं उनका संवहनीय उपयोग सुनिश्चित करने तथा जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारी व विनिर्माताओं से जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के अंतर्गत भारतीय व्यापारी व विनिर्माताओं को आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। जैवविविधता अधिनियम की धारा 23 एवं 24, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 एवं 17 तथा जैव संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटना विनियम, 2014 के विनियम 2 एवं 3 के तहत इन विषयों हेतु शासन द्वारा वैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारी व विनिर्माताओं के साथ संभाग स्तरीय कार्यशाला



प्रशिक्षण
कार्यशाला-जबलपुर
(दि. 03.11.18)



प्रशिक्षण
कार्यशाला-रीवा
(दि. 13.11.18)



प्रशिक्षण
कार्यशाला-भोपाल
(दि. 14.11.18)



प्रशिक्षण
कार्यशाला-शिवपुरी
(दि. 16.11.18)



प्रशिक्षण
कार्यशाला-उज्जैन
(दि. 20.11.18)



प्रशिक्षण
कार्यशाला-इंदौर
(दि. 30.11.18)

जैव संसाधनों तक पहुंच के लिये लाभ प्रभाजन के संबंध में जारी अधिसूचना के क्रम में जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा प्रदेश में दिनांक 03.11.2018 से 20.11.2018 की अवधि में मैदानी स्तर पर जबलपुर, रीवा, भोपाल, शिवपुरी एवं उज्जैन वन वृत्त स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उप संचालक (बफर जोन हेतु) व वन विकास निगम के डिवीजनल मैनेजर, डी.एफ.ओ. के सहायक वन संरक्षक उपस्थित हुये। कार्यशाला में वनमण्डल कार्यालय के लिपिकीय अमले को ए.बी.एस. कार्य को संपादित करने हेतु लाभ प्रभाजन राशि की गणना का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


इंटरनेट की दुनिया से

आर्कटिक वृत्त और नावें देश के मध्य एक टापू पर बर्फीले पहाड़ के गर्भ में मानवता के भविष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन अवस्थित है। यह कोयला, तेल या कीमती खनिज नहीं है बल्कि ये बीज हैं।

नावें की स्वाल्बार्ड द्वीपसमूह के हिस्से स्पिट्सबर्गेन पर ग्लोबल सीड वॉल्ट में खाद्य फसलों की 930,000 से अधिक किस्मों को, छोटे भूरे रंग के बक्से में संग्रह किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक विशाल सुरक्षा बॉक्स है, जो दुनिया की कृषि जैव विविधता का सबसे बड़ा संग्रह है। ग्लोबल सीड वॉल्ट को ''प्रलय का दिन'' वॉल्ट करार दिया गया है, जो कि एपोक्युलिटिक घटना या वैश्विक तबाही के मामले में उपयोग के लिए बीजों के भंडार की एक छवि है।

यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको के साथ-साथ सीरिया से भी बीज के नमूने जमा किए गए हैं। दुनिया भर में हर दिन छोटे-बड़े प्रलय हो रहे हैं। आनुवंशिक सामग्री दुनिया भर में खो रही है।

पिछले 50 वर्षों में, कृषि पद्धतियों में तकनीकी विकास के कारण फसल उत्पादन नाटकीय रूप से बदल गया है। लेकिन जब फसल की पैदावार में वृद्धि हुई तो जैव विविधता इस बिंदु तक कम हो गई है कि अब केवल 30 फसलें ही



95 प्रतिशत मानव खाद्य-ऊर्जा की जरूरतें पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए, 1950 के दशक में चीन द्वारा उपयोग किए जाने वाले चावल की किस्मों का केवल 10 प्रतिशत ही आज उपयोग किया जाता है। अमेरिका ने 1900 के बाद से 90 प्रतिशत से अधिक फल और सब्जियों की किस्मों को खो दिया है। कृषि की यह मोनोकल्चर प्रकृति खाद्य पदार्थों को बीमारियों और सूखे जैसे खतरों के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है।

Source : <http://time.com/doomsday-vault/>

सेवानिवृत्ति

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (अक्टूबर-दिसम्बर 2018)

1.	श्री एम.के. सपरा	प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल
2.	श्री शहबाज अहमद	प्र.मु.व.सं., (वन्यप्राणी), म.प्र. भोपाल
3.	श्री एल.एम. बेलवाल	प्र.मु.व.सं., प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर रूरल प्रोजेक्ट भोपाल
4.	श्री विनय कुमार वर्मन	प्र.मु.व.सं., प्रबंध संचालक, बीज विकास निगम, भोपाल
5.	श्री सी. एच. मुरलीकृष्णन	अ.प्र.मु.व.सं., कार्य आयोजना (आंचलिक) जबलपुर
6.	श्री ए. के. नागर	मु.व.सं., अ.वि. वृत्त, खण्डवा

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की गतिविधियां

1. जबलपुर में Biofuel विषय पर व्याख्यान

संस्थान के के.पी. सगरैया सभागार में दिनांक 31/10/2018 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रख्यात वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) प्रो. विजय गौर द्वारा Critical Analysis of Biofuel R&D in India – Retrospect and Prospect विषय पर व्याख्यान एवं परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में संस्थान के समस्त अधिकारी, वैज्ञानिक, वरि. अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक, अनुसंधान अध्येता एवं कर्मचारीण उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रकाशित तकनीकी बुलेटिन "मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख गोंदों की विदेहन एवं विदेहनोत्तर तकनीक" तथा "Propagation techniques of economically important endangered and rare species (Salai, Shisham, Achar, Maida, Lakadi and Bija) of Madhya Pradesh" का विमोचन प्रो. विजय गौर, मुख्य अतिथि, श्री सी.एच. मुरलीकृष्णा, संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, डॉ. पी.के. शुक्ला, क्षेत्रीय संचालक, आर.सी.एफ.सी., श्री ओ.पी. तिवारी, अपर संचालक तथा बुलेटिन के लेखक डॉ. जी.एस. मिश्रा एवं डॉ. सचिन दीक्षित, डॉ. अवधेश शर्मा उपस्थित थे।



प्रो. विजय गौर द्वारा सभागृह में व्याख्यान एवं बुलेटिन का विमोचन

2. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा "मिल बाँचे मध्यप्रदेश" कार्यक्रम में भागीदारी

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित दिनांक 31/08/2018 को आयोजित "मिल बाँचे मध्यप्रदेश" कार्यक्रम में संस्थान के संचालक श्री सी.एच. मुरलीकृष्णा, उप संचालक एवं कार्यालय प्रमुख श्री एस.के. शुक्ला, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री अनिरुद्ध सरकार, श्री एस.पी.एस. मेहता एवं श्री अरविन्द हल्दकार, वनपाल द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया। संस्थान द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला घुघरा वि. ख., कुण्डम, जिला जबलपुर में जाकर विद्यालय के बच्चों के साथ उनके पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा की गई तथा उन्हें पुस्तक, पेडस्टल पंखा, चॉकलेट का वितरण किया गया एवं शाला में संचालित मध्याह्न भोजन से संबंधित कर्मचारियों से चर्चा की गई।



"मिल बाँचे मध्यप्रदेश" कार्यक्रम

3. राज्य वन अनुसंधान परिसर में त्रिफला उद्यान की स्थापना

त्रिफला में उपयोग में लाए जाने वाली तीनों प्रजातियों के बाह्य स्थलीय संरक्षण के उद्देश्य से राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा 2 सितंबर, 2018 को संस्थान परिसर में त्रिफला उद्यान तैयार किया गया। संस्थान के संचालक श्री सी.एच. मुरलीकृष्ण द्वारा इन विशेष पौधों के रोपण कार्यक्रम में पौधों को रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया एवं पौधों को रोपित किया।



संस्थान परिसर में त्रिफला उद्यान की स्थापना

4. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दिनांक 20 दिसंबर 2018 को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन संस्थान परिसर में किया गया। इस अवसर पर संस्थान के लगभग 125 अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।



संस्थान परिसर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन

5. सलई (*Boswellia serrata*) की सरलतम रोपणी तकनीक

- प्रस्तावना - सलई बरसेरेसी कुल का सदस्य है। सलई के वृक्ष मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। सलई सामान्यतः शुष्क पर्याप्ती वनों में पाया जाता है। सामान्यतः यह पहाड़ी ढलानों में तथा पहाड़ के किनारे पाये जाते हैं। समतल क्षेत्र में जहां उपजाऊ मिट्टी होती है, यह अच्छी वृद्धि प्राप्त

करते हैं। इसकी छाल बहुत पतली एवं भूरे हरे रंग की होती है। इसकी पत्तियाँ नीम की पत्तियों के सदृश्य होती हैं। इसमें खुशबुदार गोंद निकलती है। यह प्रजाति खराब से खराब मिट्टी में भी हो जाती है परंतु इसकी वृद्धि कम होती है। इसके वृक्ष का छत्र काफी फैला हुआ होता है।

- वनों में स्थिति - सामान्यतः मिश्रित वनों में ये पाये जाते हैं। इनकी गोंद उपयोग में लाई जाती है। अतः गोंद

निकालने हेतु कई बार अवैज्ञानिक तरीकों को इस्तेमाल होता है जिससे इनके वृक्ष सूख जाते हैं। जिन वृक्षों में फल लगते हैं उनसे भी बहुत कम मात्रा में नये पौधे तैयार होते हैं। सामान्यतः सलई की नये पौधों की पहचान न होने के कारण भी इनका संरक्षण नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से वनों में सलई के वृक्ष कम होते जा रहे हैं।

- **फूलने-फलने का समय** – सामान्यतः सलई में नवम्बर से फूल आना चालू हो जाते हैं एवं फल अप्रैल-मई माह तक पक जाते हैं। यह देखा गया है कि वातावरण में बदलाव के कारण फूलने-फलने का समय अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। अतः अपने क्षेत्र में इसके फूलने-फलने के समय की जानकारी होना आवश्यक है।

- **बीज संग्रहण का तरीका** – इसके सभी बीज एक साथ नहीं पकते हैं। पूर्णतः पके हुये फल फट जाते हैं एवं बीज जमीन पर फैल जाते हैं। अतः इनके फलों को चटकने से पहले संग्रहित कर छायादार फर्श पर सूखने के लिए रख लेना चाहिए। कच्चे फल हरे रंग के तथा परिपक्व होने की स्थिति में ये हल्के कत्थई रंग युक्त होता है।


- **बीज बुआई का समय** – यह देखा गया है कि फलों के स्वयं चटकने से प्राप्त बीज की तुरंत बुआई कर देने से अंकुरण अच्छा मिलता है। अतः बीज संग्रहण के तुरंत बाद जल्दी ही बीज बुआई कर देना चाहिए। यह भी देखा गया है कि पॉलीथिन में या मिट्टी के बेड में बीज बुआई करने से अंकुरण अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है।

- **सलई के सरलतम रोपणी तकनीक** – विभिन्न लेखों में यह पाया गया है कि सलई का अंकुरण प्रतिशत बहुत ही कम होता है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान के दौरान सलई की निम्नानुसार सरलतम रोपणी तकनीक विकसित की गई है :-

1. **बारीक रेत में बीज बुआई** – नदी-नाले की रेत को बारीक छानकर उसे बीज अंकुरण ट्रे में भर कर तथा अंकुरण ट्रे को ग्रीन नेट हाउस या पॉली हाउस के अंदर रखकर सलई के पौधे तैयार करना चाहिये। रेत भरे बीज अंकुरण ट्रे में सलई के बीज की हल्की परत बिछाकर ऊपर से लगभग 1 से 3 सेमी. बारीक रेत से ढककर या पूरी भरी अंकुरण ट्रे में 1 से 3 सेमी. गहरी नाली बनाकर उसमे सलई के बीज डालकर बीजों को रेत से ढककर झारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिये। इस तरह रेत में बीज बुआई करने से अंकुरण अच्छा आता है।

2. **सागौन बीज का उपचारण करने से प्राप्त डस्ट में बीज बुआई** – सागौन के बीजों को उपचारित करते समय उसे पानी में फुलाया जाता है तथा धिसाई करके साफ बीज प्राप्त किया जाता है। धिसाई के दौरान निकलने वाली अशुद्धियों को पानी से धोकर, बहाकर एक जगह एकत्रित किया जाता है। लगभग एक वर्ष बाद यह बारीक चूरे के रूप में प्राप्त होता है। इस बारीक चूरे का उपयोग बीज के अंकुरण हेतु किया जाता है।

इसके लिये 1 मी. चौड़ी तथा 25 से 30 सेमी. गहरी नाली (लंबाई आवश्यकतानुसार) खोदकर उसमें यह चूरा भर दिया जाता है। इस प्रकार बीज अंकुरण हेतु क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसमें सलई के बीज की हल्की परत बिछाकर ऊपर से लगभग 5 सेमी. तक यह चूरा डाल दिया जाता है। झारे से हल्की सिंचाई की जाती है।



सलई (*Boswellia serrata*) के तैयार पौधे

नोट : सलई का बीज ग्रीष्म ऋतु में उपलब्ध होता है अतः इस प्रकार के बीज रोपण बेड पॉलीहाउस या ग्रीननेट हाउस के अंदर तैयार करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं।

6. कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत खेती के साथ क्लोनल यूकेलिप्टस रोपण से लाभ


वर्तमान समय में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, घरेलू काष्ठ, जलाऊ की समस्या के निदान एवं सीमित भू-भाग तथा प्राकृतिक अनिश्चितता से किसानों को कम समय में सुनिश्चित आय किस प्रकार प्राप्त हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर किये गये अध्ययन के पश्चात् क्लोनल यूकेलिप्टस की कृषि वानिकी पद्धति को प्रस्तुत किया गया है। कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत क्लोनल यूकेलिप्टस के रोपण से कम समय में जलाऊ काष्ठ एवं बल्ली की कमी

को न केवल दूर किया जा सकता है अपितु अनुपयोगी गैर कृषि तथा कृषि भूमि में से एक निश्चित आय प्राप्त की जा सकती है।

क्लोनल यूकेलिप्टस रोपण की कृषि वानिकी पद्धति

- स्थल चयन :**
1. ढालदार स्थल जहाँ जल निकासी अच्छी हो, छायादार न हो एवं मिट्टी की गहराई 30 सेमी हो।
 2. जहाँ पानी भरता हो वहाँ मेढ़ बनाकर सफलतापूर्वक रोपण किया जाना संभव है।
 3. सोयाबीन, चना, अरहर/तुअर, मसूर, गेहूँ, सरसों के लिए उपयुक्त क्षेत्र में फसल के साथ रोपण बहुत सफल होता है। कम सिंचाई वाली फसलों के साथ सबसे उपयुक्त है।

भूमि की तैयारी : यदि भूमि पथरीली कठोर बर्बा किस्म की ऊबड़-खाबड़ है तो जे.सी.बी. मशीन की सहायता से समतल कर प्लाऊ एवं कलटीवेटर के द्वारा वर्षा या रोपण पूर्व दो बार आड़ी-खड़ी गहरी जुताई कर पौधा लगाने के लिए रोपण के लगभग 1 माह पूर्व 30x30x30 सेमी. आकर के गड्ढे कर लेना चाहिए। पूरे खेत की जुताई आवश्यक है, इससे वर्षा का पूरा लाभ मिल जाता है। गड्ढे



यूकेलिप्टस के साथ चना की खेती (श्री प्रदीप नेमा, क्लोनल कमटिया जबलपुर जनवरी 2010 की स्थिति में) कोडारी, जिला सिवनी

में दीमक नाशक पावडर अवश्य डाल देना चाहिए।

पौधों का क्लोन : मिट्टी की संरचना के अनुसार राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, आई.टी.सी. भद्राचलम एवं ओरियन्ट पेपर मिल अमलाई से क्लोनल पौधा प्राप्त किया जा सकता है।

रोपण का समय : सिंचित क्षेत्र में अप्रैल से जून तक। असिंचित क्षेत्र में जुलाई या वर्षा प्रारम्भ होने पर सितम्बर तक।

रोपण में सावधानी : रोपण गड्ढे में ही करें। दीमक मार पावडर अवश्य दें। छाया वाले तथा जल भराव वाले स्थलों में रोपण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पूर्णतः व्यर्थ होगा। क्रोबार से पौधे नहीं लगाना चाहिए। जड़े मुड़ने के कारण क्लोनल यूकेलिप्टस में यह प्रयोग सफल नहीं है।

रोपण के साथ खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति : असिंचित क्षेत्र में चना, मसूर, सोयाबीन, तुअर, सरसों तथा सिंचित क्षेत्र में गेहूँ, मौसमी सब्जियां एवं फूल।

अंतराल : अ) खेती के साथ रोपण का अंतराल : पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर दो लाइन। कतार से कतार की दूरी 6 मीटर। दिशा-पूर्व से पश्चिम

सिंचाई : रोपण के बाद वर्षा पूर्व रोपण स्थलों में वर्षा



पथरीली बंजर असिंचित भूमि में चना के साथ श्री नरेन्द्र सिंह का रोपण, 2009 कोडारी, जिला सिवनी

प्रारम्भ होने तक सिंचाई आवश्यक है। किसान स्थल की उपयुक्तता के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप पद्धति से खरपतवार कम होती है तथा पानी कम लगता है लेकिन प्रारम्भिक लागत अधिक लगती है। प्रारम्भिक वर्ष में प्रतिदिन एवं सासाहिक सिंचाई के बाद सिंचाई आवृत्ति धीरे-धीरे कम करते रहना चाहिए।

मृत पौधों को बदलना : मृत पौधों के बदले लगाये गए पौधों की बढ़त एकदम कम पाई गई है, अतः मृत पौधों को नहीं बदलना चाहिए यह पूर्णतः व्यर्थ होता है।

खादों का प्रयोग : निंदाई-गुड़ाई के बाद खादों का प्रयोग करना चाहिए। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक एवं गोबर खाद के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोपण से

पूर्व प्रति एकड़ कम से कम 5 ट्राली गोबर की सड़ी खाद डालकर जुताई कराना चाहिए तथा रोपण के बाद 20 दिनों के अन्दर 15 ग्राम प्रति पौधा डी.ए.पी. देना उपयुक्त रहेगा। यदि कृषि वानिकी है तो कृषि फसल को दी गई खाद पौधों को भी मिल जाती है।

कीटनाशक : क्लोनल यूकेलिप्टस के पौधों में रोपण के समय दीमक से बचाव के लिए फोरेट 10 जी या दीमक मार पावडर का इस्तेमाल 10-15 ग्राम प्रति पौधा किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त क्लोनल यूकेलिप्टस के कुछ रोपण क्षेत्रों में गाल सूट का प्रकोप देखा गया है, अतः गाल सूट के प्रकोप से बचाव में फोरेट 10 जी का संपूर्ण खेत में 50 किग्रा. प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सिंचाई करना चाहिए। यह प्रयोग एक माह के अंतराल में करने से गाल सूट के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

निंदाई-गुड़ाई : वर्षा पूर्व निंदाई-गुड़ाई ट्रैक्टर से करवाना सस्ता और अच्छा है। वर्षा काल में जब भी जमीन सूखी हो जुताई करनी चाहिए। प्रथम वर्ष में कम से कम 2 बार जुताई आवश्यक है। वर्षा के बाद एक बार निंदाई-गुड़ाई आवश्यक है। जहाँ कृषि वानिकी है वहाँ कृषि फसल के लिए किए गये सभी निंदाई-गुड़ाई का लाभ क्लोनल यूकेलिप्टस को मिलता रहता है। कभी-कभी ठंड में या बैमौसम वर्षा हो जाती है, ऐसी स्थिति में रोपण क्षेत्र में जुताई रहने से इस वर्षा का पूरा लाभ क्लोनल यूकेलिप्टस को मिलता है।

शाखा छंटाई : शाखा छंटाई के फलस्वरूप तनों के गांठ में घाव बन जाने से कीट प्रकोप होता है अतः छंटाई बिल्कुल नहीं करें। 2 वर्षों में सभी पौधे सीधे हो जाते हैं, डालियां अपने आप खत्म हो जाती हैं।

कटाई : किसान बाजार दर, उनकी आवश्यकता तथा क्लोनल यूकेलिप्टस की बढ़त, मोटाई को देखकर कटाई कर सकते हैं। कटाई वर्षाकाल के बाद कभी भी की जा सकती है। कटाई जमीन से नजदीक करनी चाहिए। 3 वर्ष से 4 वर्ष तक पहली कटाई कराना उचित है। कटाई के पश्चात् पौधे के टूंठ में थायोयूरिया नामक रसायन के 5 मिलीग्राम घोल बनाकर पुताई कर दें। इससे नये पीके शीघ्र बिना किसी रोग के आते हैं। नये पीकों में से स्वस्थ तने को छोड़कर शेष की कटाई कर देना चाहिए। इस प्रकार कृषक 10 वर्ष में तीन बार उपज प्राप्त कर सकता है।

उपयोग : शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य में संलग्न कंपनी/ठेकेदारों के द्वारा आधार के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान तैयार करने में क्लोनल यूकेलिप्टस की बल्ली की सर्वाधिक मांग है। इसके अतिरिक्त जलाऊ काष तथा फर्नीचर के लिए भी उपयोग की जाती है। कटाई के समय गिरने वाली पत्तियों से तेल निकालकर आय प्राप्त की जा सकती है। तेल की मांग आयुर्वेदिक दवा, कॉस्मेटिक एवं मच्छर आदि से बचाव के लिए दवा निर्माता इकाइयों में अच्छी खपत है।

यूकेलिप्टस तेल : प्रति एकड़ रोपण से प्रतिवर्ष लगभग 5 किलो एवं लगभग 3.5 वर्ष बाद कटाई के समय लगभग 35 किलो, इस प्रकार एक बार में कटाई तक कुल 40 किलो यूकेलिप्टस का तेल प्राप्त होने की संभावना रहती है, जो रु. 325/- प्रति किलो की दर से कुल रु. 13000/- की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।

क्लोनल यूकेलिप्टस का जल स्तर पर प्रभाव : लगभग 145 से 200 एकड़ में क्लोनल यूकेलिप्टस का रोपण करने वाले कृषकों के रोपण स्थल में मौजूद जल स्त्रोतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया।

कृषि वानिकी के अंतर्गत (सिंचित भूमि में) क्लोनल यूकेलिप्टस के रोपण से प्रति एकड़ लागत एवं आय : केवल क्लोनल यूकेलिप्टस का रोपण किया जाता है तब द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रति वर्ष रु. 9300 की लागत आती है, अन्यथा गेहूँ की फसल के साथ रोपण पर अलग से व्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लोनल यूकेलिप्टस के पौधों की प्रथम कटाई (सिंचित क्षेत्र के) रोपण अवधि से 42-48 माह में करने पर शुद्ध आय 1.07 लाख प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् 10 वर्ष तक कापिस से उक्त आय प्राप्त होती रहेगी।


यदि कोई कृषक आसवन विधि द्वारा यूकेलिप्टस की पत्तियों से तेल प्राप्त कर लेता है तो प्रति एकड़ एवं प्रति वर्ष औसतन 5 किलो तेल 3 वर्ष तक तथा कटाई के समय 35 किलो प्राप्त होता है जो रु. 325/- प्रति किलो की दर से कुल रु. 13000/- की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।

(स्त्रोत : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), भोपाल द्वारा वित्त पोषित एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार प्रतिवेदन 2010)

दोमुँहा साँप की तस्करी पर लगाम

भोपाल की उड़नदस्ता टीम ने शाहपुरा क्षेत्र से विलुप्त होते प्रजाति के दो मुँहे साँप जस किए हैं। अमीरनाथ हरियाणा, दीपकनाथ दिल्ली के कब्जे से इन साँपों को बरामद किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 29, 49, 51, 52 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

सी.सी.एफ. डॉ. एस.पी. तिवारी और डी.एफ.ओ. एच. एस. मिश्रा के निर्देश पर एस.डी.ओ. सुनील भारद्वाज के मार्गदर्शन में रेंज अधिकारी सुभाष विल्होरे ने वन्य प्राणियों की तस्करी की रोकथाम के लिए एक टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर आरोपियों पर कार्यवाही की जा रही है।



दो मुँहा साँप (Sandboa)

24वीं मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता

वन विभाग में खेलों की विधिवत थुरुआत वर्ष 1992 से हुई जब भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।



भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 9 से 13 जनवरी 2019 की अवधि में रायपुर में आयोजित होने वाली 24वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम के चयन हेतु भोपाल में 24वीं मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 4 से 7 दिसंबर 2018 तक किया गया जिसमें प्रदेश के समस्त 16 वृत्तों से चयनित लगभग 400 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, ब्रिज, बिलियर्ड्स, स्नूकर, गोल्फ, टैराकी, भारोत्तोलन, शक्तितोलन, रायफल शूटिंग एवं स्क्वॉश में भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एवं विजेता खिलाड़ियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गए। 24वीं राज्य स्तरीय भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।





अपर मुख्य सचिव (वन) श्री के.के. सिंह, खेल-कूद समारोह में भाग लेने आते हुए।



“वन कोषों का विघटन यों ही...”

इस अनमोल संपदा का फिर जिक्र किताबों में ही होगा,
वन कोषों का विघटन यों ही होता रहा अगर द्रुत गति से॥

प्रकृति वधु के जेवर हैं ये
जंगल महज नहीं ये जंगल,
इन पर ही निर्भर है प्रियवर
अपना मंगल और अमंगल,

नहीं तीसरा कोई कारण, केवल दो वज्रहें होती हैं,
या तो लापरवाही होती या लुटता यह धन सहमति से॥

घाट हरे ये गगन चूमते
वृक्ष नहीं जो रहे हमारे,
आस रहेगी नज़र रहेगी,
मगर न होंगे सुखद नज़ारे,

विधवा की मांगों सी सूनी नज़र आयेंगी नदियाँ सारी,
रोक नहीं पायेगा कोई, मरुस्थलों वाली परिणति से॥

बहती हुई मृदा के रोधक
प्राण वायु, जीवन जल इनसे,
यही चिकित्साधार हमारे
कंद मूल बूटी फल इनसे,

किया नहीं ‘वन विधि’ का रक्षण तो फिर कोई लाभ नहीं है,
फर्जी दस्तावेजों वाले किसी प्रदर्शन या प्रस्तुति से॥

झाँक दिये संसाधन लेकिन
कहीं रही तकनीकी खामी,
तभी सफलता के प्रतिशत में
मिलती रही हमें नाकामी,

तोड़ें परम्परा हम अपनी, बेहतर होगा काम निकालें,
थोड़े तकनीकी कौशल से थोड़ी मति थोड़ी सम्मति से॥

- रत्नदीप खरे
वन क्षेत्रपाल

गुग्गुल गीत

जिसने हमें दिया ही दिया
उन्हें मिटायें क्यों

जंगल में मंगल जो करते
उन्हें भगाएं क्यों।

चम्बल के बीहड़ों के आँगन
पले पूलते गुग्गुल पावन
जेठ दुपरिया तप तप कर वो
मुस्कराते जब आयें सावन

मुस्कराते लहराते हँसते

उन्हें मिटायें क्यों।

वृक्ष ने खाते अपना फल
नदियां न पियें अपना जल
सेवा त्याग की इस मिसाल का
अपना भी हो मन निर्मल

जीव जीव में खुद को देखो
ईर्ष्या बढ़ाएं क्यों।

वैध हकीम ऋषियों ने माना
गुग्गुल दवा सहायक।

आम वात मोटापन अस्थि
मूत्र रोग में लायक।


और अनेक नेक ये करता
इसे हटाएँ क्यों।


बने स्वामी हम इस विरचा के
अपना फर्ज निभायें।

बाग-बगीचा, खेत और आँगन
गुग्गुल वृक्ष लगायें

जिससे नाता पुरखों जैसा उसे मिटायें क्यों।

- जाकिर हुसैन





जयंतीकुँज रोपणी, शीवा

Madhya Pradesh Forest Department
Satpura Bhawan, Bhopal-462004
mpforest.gov.in

मध्यप्रदेश माध्यम/2019